उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 13/20/85-कार्मिक-1-2006
लखनऊ 17 फरवरी, 2006

अधिसूचना संख्या 13/20/85–कार्मिक–1/2006, दिनांक 17 फरवरी, 2006 के द्वारा प्रख्यापित उ0 प्र0 प्रतियोगिता परीक्षा अंकों का आवंटन नियमावली, 2006 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4–सचिव राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5–सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

6–सचिव लोकसेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

8–सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 लखनऊ को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,
पी0 एन0 यादव,
संयुक्त सचिव।

क्रम-संख्या–30

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी0–11/लाई0–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 फरवरी, 2006
माघ 28, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 13/20/85-कार्मिक-1-2006
लखनऊ, 17 फरवरी, 2006

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–10

भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमावलियों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता परीक्षा अंकों का आवंटन नियमावली, 2006

संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता परीक्षा अंकों का आवंटन नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह उत्तर प्रदेश के कार्य-कलाप के संबंध में और राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी सेवा या पद के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित है, भर्ती के सम्बन्ध में लागू होंगे, सिवाय जहां इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व लिखित परीक्षा हो चुकी हो।

अंकों का आवंटन

2–किन्हीं नियमों या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, साक्षात्कार के लिये अधिकतम अंकों का अवधारण, सेवा या पद, जिसके लिये चयन किया जाना है, की अपेक्षाओं के आधार पर किया जायेगा ;

परन्तु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि साक्षात्कार के लिये अंकों का आवंटन इस प्रकार न किया जाय कि वे अपने प्रयोग में मनमानी किये जाने या दुरुपयोग किये जाने के योग्य हो जायं।

आज्ञा से,
दीपक त्रिवेदी,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/20/85-karmic-1, dated February 17, 2006.

No. 13/20/85-karmic-1
Dated Lucknow, February 17, 2006

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following rules :–

THE UTTAR PRADESH COMPETITIVE EXAMINATION ALLOCATION OF MARKS RULES, 2006

Short title, commencement and application

1. (1) These rules may be called "the Uttar Pradesh Competitive Examination Allocation of Marks Rules, 2006."

(2) They shall come into force at once.

(3) They shall apply in respect of recruitment on the basis of competitive examination comprising written examination and interview, for any service or post in connection with the affairs of Uttar Pradesh and under the rule making power of the Governor, except where written examination has already been held before the commencement of these rules.

Allocation of marks

2. Notwithstanding anything to the contrary contained in any rules or orders, the maximum marks for interview shall be determined on the basis of the requirements of the service or post for which selection is to be made :

Provided that it shall be ensured that the allocation of marks for interview is not done in such a way as to become arbitrary and capable of being abused or misused in its exercise.

By order,
DEEPAK TRIVEDI,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2209 राजपत्र (हिन्दी)–(3142)–2006–597–प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 8 सा० नियुक्ति–(3143)–2006–2000–प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।